विभिन्न पहलुओं पर प्रधानाचार्य की स्व-मूल्यांकन रूपरेखा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगातार अपने सभी स्कूलों में गुणात्मक विकास लाने के लिए कार्य करता है। संबद्धता के बाद, स्कूल का प्रधानाचार्य स्कूल के पूरे कामकाज का नेतृत्व करता है। बोर्ड ने प्रधानाचार्यों को एक स्कूल के शैक्षणिक नेता के रूप में भी पदनामित किया है, जिनकी विद्यालय में शैक्षणिक और विकासात्मक मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

सीबीएसई का मानना है कि हममें से अधिकांश आत्म-प्रेरित, प्रतिबद्ध, सकारात्मक और दृष्टिकोण में प्रगतिशील हैं। फिर भी, यह अनुशंसा की जाती है कि सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया करने में सक्षम होना चाहिए ताकि वे अपने स्वयं के सीखने/कामकाज में अंतराल खोजने में सक्षम हो सकें ताकि वे आत्म-विकास और आवश्यकता आधारित क्षमता निर्माण के मार्ग पर चल सकें। इस उद्येश्य के लिए, ***प्रधानाचार्य की स्व-मूल्यांकन रूपरेखा*** को विकसित किया गया है।

यह रूपरेखा ईमानदार **आत्म-विश्लेषण** के माध्यम से आत्म-सुधार की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए, रूप में आत्मदर्शी है। यह रूपरेखा प्रधानाचार्यों को ***उनकी ताकत का आकलन करने और कमजोरियों या सुधार के क्षेत्रों*** का एहसास कराने में भी मदद करेगी। यह प्रासंगिक स्थानों पर समेकित रूप से एकीकृत अनुभवात्मक अधिगम शिक्षा शास्त्र है।

इस स्व-मूल्यांकन रूपरेखा के लिए प्रधानाचार्यों के दैनिक जीवन से संबंधित ***पंद्रह प्रमुख पहलुओं*** को चुना गया है। प्रत्येक क्षमता के भीतर कुछ पहलुओं में दोहराव हो सकता है: यह उस विशिष्ट उद्देश्य के साथ किया गया है जो अपने दम पर, और यदि अलग से पढ़ा जाए, तो प्रत्येक क्षमता अपने आप में पूर्ण है।

I. शैक्षणिक मामले

यह पहलू सामान्य शैक्षणिक मामलों के साथ-साथ वह जिस विषय को पढ़ाता है, उसके संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा उठाए जाने वाले सुझावतमक कार्यों से संबंधित है।

1. क्या मैं विभिन्न स्तरों के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित अधिगम परिणाम दस्तावेज़ से अवगत हूँ?
2. क्या मुझे सीबीएसई द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम दस्तावेजों और सहायक सामग्री के बारे में जानकारी है?
3. क्या मैंने सभी विषयों और सभी कक्षाओं के लिए अधिगम परिणामों को अपनाया या परिभाषित किया है?
4. क्या मैंने अपनाए गए या परिभाषित अधिगम परिणामों के साथ पाठ्यक्रम को व्यवस्थित किया है?
5. क्या मैं सभी विषयों के अधिगम उद्देश्यों और अधिगम परिणामों से अवगत हूं?
6. क्या मैंने एक शैक्षणिक नेता के रूप में मेरी भूमिका को समझ लिया है, जैसा कि परिपत्र सं. शैक्षणिक 15-2019 दिनांक 9 मार्च 2019 में दिया गया है जो http: //cbseacademic.nic.in/web material/Circulars/2019/15_Circular_2019.pdf पर उपलब्ध है।
7. क्या मैंने लिंक http: //cbseacademic.nic.in/web material/Circulars/2019/15 Circular 2019.pdf पर उपलब्ध परिपत्र संख्या 15-2019 दिनांक 9 मार्च 2019 में दिए गए शैक्षणिक नेता के रूप में उसकी भूमिका को समझते हुए सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाई और कार्यान्वित की है?
8. क्या मैंने पाठ्यक्रम और शैक्षणिक योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावकारिता की निगरानी के लिए सुव्यवस्थित तंत्र विकसित किया है?
9. क्या मैंने पाठ योजनाओं में अपनाए गए या परिभाषित अधिगम परिणाम का उपयोग सुनिश्चित किया है?
10. क्या मैंने शिक्षण के लिए मूल्यांकन छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए शिक्षकों द्वारा विभिन्न मूल्यांकन उपकरण और तकनीकों को अपनाना या उपयोग सुनिश्चित किया है?
11. क्या मैंने छात्रों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए अपनाई गई / परिभाषित अधिगम परिणामों के संबंध में छात्र अधिगम का आवधिक मूल्यांकन सुनिश्चित किया है?
12. क्या मैं विषयवस्तु आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से प्रमुख अवधारणाओं के समावेशन की प्रति जांच क्षेत्र के लिए एक तंत्र विकसित करने और शिक्षकों के सहयोग से कार्य करता हूँ?
13. क्या मैं रोजाना सीबीएसई की शैक्षणिक वेबसाइट पर जाकर सीबीएसई के सभी नवीनतम परिपत्रों का रिकॉर्ड रखता हूं?
14. क्या मैं महीने में कम से कम एक बार एनसीईआरटी वेबसाइट देखता हूँ?
15. क्या मैं प्रासंगिक शैक्षिक पत्रिकाओं को पढ़कर शिक्षण और मूल्यांकन में नवीनतम घटनाओं के बारे में खुद को अपडेट रखता हूं?
16. क्या मैं शैक्षिक पत्रिकाओं में योगदान देता हूं?
17. क्या मैं प्रगतिशील शिक्षण अधिगम तकनीकों जैसे सहयोगी शिक्षण, अनुभवात्मक अधिगम, कला का समावेश, खेल, मूल्य, जीवन कौशल और आईसीटी के उपयोग के साथ सभी विषयों में उचित पाठ योजना सुनिश्चित करता हूं?
18. क्या मैं कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदित अनुदेशात्मक पाठ योजनाएं सुनिश्चित करता हूं?
19. क्या मेरी शैक्षणिक योजनाओं में नवीनतम शैक्षणिक तकनीकों और आईसीटी के उपयोग की गुंजाइश है?
20. क्या मैं अपने शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग करने/ नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित

करता हूं?

21. क्या मैं रुचिकर और विविध तरीकों से पाठ्यक्रम सामग्री बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम हूं?
22. क्या मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए छात्रों और अभिभावकों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करता हूं?
23. क्या मैं ऐसे संसाधन बनाता हूँ जो अधिगम के लिए प्रेम को प्रज्वलित करते हैं?
24. क्या मैं ऐसा कार्य सृजित करता हूं जो छात्रों को प्रयोगिक अधिगम में शामिल करता है?

II. क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) तथा DIKSHA

यह पहलू सीबीपी और DIKSHA में योगदान देने की दक्षता से संबंधित है।

1. क्या मैं प्रशिक्षण की आवश्यकता और अभिज्ञता प्रदान करने के प्रति जागरूक हूँ?
2. क्या मैं खुद को अपडेट रखता हूं और मूलभूत ज्ञान साझा करता हूँ?
3. क्या मैं शिक्षकों और साथी प्रधानाचार्यों का प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने और प्रशिक्षित करने में सक्षम हूं?
4. क्या मैं अपने विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के लिए संसाधन केंद्र बनाता हूँ?
5. क्या मैंने संसाधकों और नेताओं को तैयार किया है और अधिगम और आत्मसात करने की संस्कृति बनाई है?
6. क्या मैं अपने स्कूल में DIKSHA के उपयोग को बढ़ावा देता हूं?
7. क्या मैंने DIKSHA के प्रति योगदान दिया है?
8. क्या मैं अपने शिक्षकों को DIKSHA में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं?
9. क्या मैं सीबीएसई के एक सप्ताह में 5 प्रश्नों के अभ्यास को सुनिश्चित और कार्यान्वित करता हूं?
10. क्या मैं इससे अवगत हूं:
    - क. सीबीएसई संबद्धता उपविधि जो बोर्ड से संबद्ध स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के प्रशिक्षण को अनिवार्य करता है?
    - ख. शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता?
    - ग. बोर्ड द्वारा घोषित वर्ष के लिए प्रशिक्षण की विषयवस्तु ?
11. क्या मैंने एक स्कूल प्रशिक्षण नोडल समन्वयक नामित किया है :
    - क. शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करना और प्रशिक्षण कैलेंडर को डिजाइन करने और लागू करने में प्रधानाचार्य की सहायता करने हेतु?
    - ख. क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के वास्तविक संचालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के साथ समन्वय करने हेतु?
    - ग. कार्यक्रमों के रिकॉर्ड बनाए रखने हेतु?
    - घ. कार्यक्रमों की गुणवत्ता के बारे में सीओई को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने हेतु?
12. क्या मैं शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए उचित वार्षिक बजट आवंटित करता हूं?
13. क्या मैं कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को अपेक्षित अभिज्ञता प्रदान करता हूँ?
14. क्या मैं सीपीडी के लिए शिक्षकों को कार्यमुक्त करता हूं और इसकी आवश्यकता और लाभों के प्रबंधन को समझता हूं?
15. क्या मैं अधिगम केंद्र के सहयोग से नियमित आंतरिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता हूं?
16. क्या मैं वास्तविक कक्षा में शिक्षकों द्वारा सीखी गई सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रयोग सुनिश्चित करता हूँ?

III.अधिगम हब/केंद्र

यह पहलू अधिगम केंद्रों के प्रति जागरूकता और योगदान से संबंधित है।

1. क्या मुझे इंटरैक्टिव हब के महत्व के बारे में जानकारी है?

2. क्या मुझे पता है कि अपने हब में कैसे सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए योगदान और साझा करना है?
3. क्या मैं अपने हब की सभी बैठकों में भाग लेता हूँ?
4. क्या मैं यथासंभव हब की अधिकतम गतिविधियों का नेतृत्व करता हूं?
5. क्या मैं अपने हब के सदस्य प्रधानाचार्यों को अपने बराबर मानता हूं?
6. क्या मैं हमेशा ईमानदार, स्वच्छंद और उदार हूं और दूसरों के साथ अपने संसाधनों को साझा करने के लिए तत्परता दिखाता हूं?
7. क्या मैं किसी को नुकसान पहुँचाए बिना सोच-समझकर और सावधानी से काम करता हूँ?
8. क्या मैं हब के महत्व के बारे में अन्य लोगों को आश्वस्त करने में सक्षम हूं?
9. क्या मैं अन्य सदस्य स्कूलों के अच्छे शिक्षकों के न लेना सुनिश्चित करता हूं?
10. क्या मैं अपने हब के सदस्यों के बीच सूचना का प्रसार और हस्तांतरण करने में सक्षम हूं?
11. यदि मैं प्रमुख सहयोगी हूं, तो क्या मैं सभी हब सदस्यों के बीच प्रभावी अधिगम चैनल का निर्माण कर सकता हूं?
12. क्या मैं अपने स्कूल में अधिगम प्रणाली को लागू करने में सक्षम हूं?
13. क्या मैं अन्य सदस्य स्कूलों द्वारा साझा की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने में सक्षम हूं?
14. क्या मैं हब के सदस्यों के लिए अधिकतम संभव संसाधनों को साझा करके संसाधनों और ज्ञान का पूल बनाता हूँ?
15. क्या मैंने हब सदस्यों से प्रतिक्रिया के लिए एक व्यवहार्य मंच बनाया है?
16. क्या मुझे स्कूल प्रणालियों की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में जानकारी है और तदनुसार आत्म-सुधार प्राथमिकताओं को निर्धारित करता हूँ?
17. क्या मैं अन्य सदस्य स्कूलों को उनकी आवश्यकताओं का विश्लेषण करने और उन्हें सुधारने के तरीके सुझाने में मदद करता हूँ?

IV.प्रशासनिक मामले

इस पहलू में प्रशासनिक मामले और कार्यान्वयन के संबंध में प्रधानाचार्य की जागरूकता को शामिल किया गया है।

1. क्या मुझे नियमों और नीतियों का ज्ञान है?
2. क्या मेरा स्कूल प्रबंधन और उसकी कार्य पद्धति से अच्छा संबंध है?
3. क्या मैंने स्कूल के विजन और मिशन स्टेटमेंट के साथ संस्थागत नियोजन के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित किया है?
4. क्या मैं कौशल और नेतृत्व गुणों से परिचित हूं?
5. क्या मुझे वार्षिक शैक्षणिक और स्कूल कल्याण योजनाओं का महत्व पता है?
6. क्या मैं निर्बाध कामकाज के लिए सभी कर्मचारियों के बीच स्वतंत्रता को बढ़ावा देता हूं?
7. क्या मैं स्कूल में सभी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता हूँ?
8. क्या मैंने स्कूल में विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को परिभाषित किया है?
9. क्या मेरे पास नियंत्रण और संतुलन अपने स्थान पर हैं?
10. क्या मैं प्रभावी रूप से वार्षिक योजनाएं लागू करता हूं?
11. क्या मैंने एक कुशल कार्य प्रणाली बनाई है?
12. क्या मैंने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो सुचारू रूप से काम करने में सहयोग करती है?
13. क्या मैंने सामान्य लक्ष्य साझा करते हुए एक समर्पित टीम बनाई है?
14. क्या मैं सभी प्रकार के निरीक्षणों के लिए स्वतंत्र हूं?
15. क्या मैं स्कूल में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का बार-बार आकलन करता हूं?

V. स्कूल परिवेश

यह पहलू स्कूल में सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण के निर्माण से संबंधित है।

1. क्या मुझे इस बात का ज्ञान है कि एक स्वस्थ अधिगम वातावरण कैसे तैयार किया जाता है?
2. क्या मुझे पता है कि आनंदपूर्ण अधिगम और शिक्षण के क्या परिणाम होंगे ?
3. क्या मैं वैश्विक स्तर पर एक आनंदपूर्ण शिक्षण/अधिगम वातावरण बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत हूं?
4. क्या मैं पारदर्शिता और जांच की भावना को बढ़ावा देता हूं?
5. क्या मैंने स्कूल समुदाय के प्रत्येक सदस्य के लिए विश्वास और सम्मान का वातावरण निर्मित किया है?
6. क्या मैं एक सुरक्षित, भावनात्मक और शारीरिक कार्य स्थल का निर्माण करता हूं?
7. क्या मैं अपने विद्यालय में उचित स्वास्थ्यवर्धक उपाय सुनिश्चित करता हूँ?
8. क्या मैं छात्रों और सभी कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच करना सुनिश्चित करता हूं?
9. क्या मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि कक्षाएं बाल-केंद्रित हों?

VI.नवाचार प्रथाएं

यह पहलू नवीन प्रथाओं को जानने और कार्यान्वित करने की तत्परता से संबंधित है।

1. क्या मैं स्कूली शिक्षा में वैश्विक परिवर्तन और प्रथाओं से अवगत हूँ ?
2. क्या मैं स्कूल में विभिन्न प्रणालियों के कामकाज में नवीन विचारों के प्रयोग और कार्यान्वयन करने के लिए तैयार हूं?
3. क्या मैं प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों से विचार और प्रतिक्रिया लेता हूं?
4. क्या मैं गलतियों से सीखने और सुधार करने में सक्षम हूं?
5. क्या मैं नवाचारों को सक्षम करने के लिए एक जीवंत और दूरदर्शी टीम बना सकता हूं?
6. क्या मैं ऐसा माहौल बना सकता हूं जो नई प्रथाओं के लिए ग्रहणशील हो?

VII. मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देना

यह पहलू स्कूल के दैनिक कामकाज में मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देने से संबंधित है।

1. क्या मैं अधिगम में एकीकृत मूल्यों के महत्व से अवगत हूं?
2. क्या मुझे पता है कि मूल्य कैसे प्रदान किए जाएं?
3. क्या मैं सही मूल्यों को प्रभावी रूप से बढ़ावा देने और शामिल करने में सक्षम हूं?
4. क्या मेरे स्कूल में कोई प्रणाली है जिसमें सही मूल्यों के बारे में बात की जाती है और सराहना की जाती है?
5. क्या मैं हमारे संविधान में निहित मूल्यों जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, सहिष्णुता, धैर्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आदि को व्यवहार में लाना सुनिश्चित करता हूँ ?
6. क्या मैं सही उदाहरण रखता हूं और परस्पर बातचीत को बढ़ावा देता हूं?
7. क्या मैंने छात्रों का एक सकारात्मक, रचनात्मक, संवेदनशील और अनुकूली पूल बनाया है?
8. क्या मैंने समस्या समाधानकर्ता और विवाद के निराकरणकर्ता बनाए हैं?
9. क्या मैंने सही मूल्यों के बारे में स्कूल में सभी के बीच एक उच्च जागरूकता पैदा की है?
10. क्या मैं सही कार्य नैतिकता के बारे में अवगत हूँ और जानता हूँ कि उन्हें कैसे बढ़ावा देना है?
11. क्या मुझे अनैतिक प्रथाओं के परिणामों के बारे में पता है?
12. क्या मैं एक नैतिक कार्य व्यवहार वातावरण बनाता हूं?
13. क्या मैं स्कूल और बाहर सभी के सामने स्वयं को सही नैतिकता का एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने में सक्षम हूं?
14. क्या मैं एक ऐसा स्कूल बनाने में सक्षम हूँ जो मूल्य नैतिकता को सबसे ऊपर रखता है?

VIII. अधिगम परिवेश

यह पहलू स्कूल में प्रभावी अधिगम परिवेश से संबंधित है।

1. क्या मैं उन तत्वों से अवगत हूँ जो एक सुरक्षित अधिगम परिवेश का निर्माण करते हैं?
2. क्या मुझे मानसिक और शारीरिक कल्याण के बारे में ज्ञान है?
3. क्या मैं प्रासंगिक प्राकृतिक परिस्थिति में कक्षाएं संचालित करने, शिक्षण सामग्री के साथ दीवारों को सजाने या ऑडियो, विज़ुअल और डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने जैसी सीखने की सुविधा के लिए सही बुनियादी ढाँचा और शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हूं?
4. क्या मैं सुरक्षित अधिगम स्थान का निर्माण करता हूँ?
5. क्या मैं अच्छे शिक्षक होने की नीति का सक्रिय रूप से समर्थन और कार्यान्वयन करता हूँ?
6. क्या मैं पूछ-ताछ की भावना; आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन; छात्रों के रोजमर्रा के जीवन के साथ पाठों को जोड़ना; छात्रों के दैनिक जीवन में ज्ञान और कौशल का अनुप्रयोग को बढ़ावा देता हूं?
7. क्या स्कूल की नीतियां समर्पित शिक्षक और प्रसन्न शिक्षार्थियों का निर्माण करती हैं?

IX. स्टाफ कल्याण के उपाय

यह पहलू प्रधानाचार्य द्वारा स्टाफ कल्याण हेतु किए गए उपायों से संबंधित है।

1. क्या मैं स्कूल में स्टाफ के सभी सदस्यों की जरूरतों के विषय में जागरूक हूँ?
2. क्या मैं स्टाफ के प्रशिक्षण की अपेक्षाओं से अवगत हूँ?
3. क्या मैं चिकित्सा तथा संगत व्यक्तिगत मामलों के विषय में जागरूक हूँ तथा उनकी सहायता करने में उपयुक्त उपाय करता हूँ?
4. क्या मैं स्कूल कर्मचारियों में आत्म-सम्मान तथा आत्मविश्वास का निर्माण करने का ध्यान रखता हूँ?
5. क्या मैं कर्मचारियों की उचित जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास के अवसर उपलब्ध कराता हूं?
6. क्या मैंने सुखद कार्यालय स्थल बनाया है?
7. क्या मैं स्टाफ के कल्याण के लिए योजनाओं और नीतियों को कार्यान्वित करता हूँ या खेल, यात्राओं आदि का आयोजन करता हूँ?
8. क्या मैं स्टाफ की वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को कार्यान्वित करता हूँ?
9. क्या मैं कर्मचारियों के सम्मान के निर्माण और एक सशक्त समूह बनाने के लिए कार्रवाई करता हूँ?

X. सीबीएसई निर्देशों का अनुपालन

यह पहलू सीबीएसई निर्देशों के विषय में प्रधानाचार्यों की जागरूकता से संबंधित है।

1. क्या मैं सीबीएसई की नयी नीतियों तथा आदेशों से अवगत हूँ?
2. क्या मेरे पास उन्हें समझने और कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक साधन हैं?
3. क्या मुझे पता है कि किसको और कैसे पहुंचाना है?
4. क्या मैं अपने आपको उनके साथ निरंतर अद्यतित रखता हूँ?
5. क्या मैंने सीबीएसई के साथ एक नियमित संचार चैनल खोला है?
6. क्या मैंने सीबीएसई के निर्देशों को चलाने और कार्यान्वित करने के लिए टीम नामित की है?
7. क्या मेरा सीबीएसई के साथ भरोसे का संबंध है?
8. क्या मैंने विश्वास प्रणाली तथा प्रतिपुष्टि प्रणाली का निर्माण किया है?
9. क्या मैं सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा उनका निर्माण करने करने के लिए सीबीएसई के अनुरूप तथा संयुक्त रूप से कार्य करता हूँ?

XI. वित्तीय प्रबंधन

यह पहलू वित्तीय प्रबंधन के उपायों से संबंधित है।

1. क्या मैं सीबीएसई के संबद्धता उप-विधियों में अनुबंधित निर्देशों का पालन करता हूँ?
2. क्या मैं अपने स्कूल की सभी वित्तीय आवश्यकताओं तथा सीमाओं के प्रति जागरूक हूँ?
3. क्या मैं बजट प्रबंधन तथा आवंटन से अवगत हूँ?
4. क्या मैं बाधाओं और प्रक्रियाओं से अवगत हूँ?
5. क्या मैं संसाधनों के विवेकपूर्ण तरीके से वितरण करने में सक्षम हूँ?
6. क्या मैं भविष्य के बारे में सुचारु रूप से योजना बनाता हूँ?
7. क्या मेरे पास एक आकस्मिकता योजना है?
8. क्या मैं स्कूल के बजट में कल्याणकारी उपायों के लिए धन आवंटित / प्रस्तावित करता हूं?
9. क्या मैं स्कूल की ज़रूरतों की देखभाल के लिए धन का पर्याप्त पूल बना सकता हूँ?
10. क्या मैं विचारों और आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए संसाधनों का निर्माण करता हूं?

XII. हितधारकों की संतुष्टि

यह पहलू हितधारकों की संतुष्टि के लिए आवश्यक कौशल-सेट का ध्यान रखता है।

1. क्या मैं सभी हितधारकों की आवश्यकताओं के बारे में अवगत हूँ?
2. क्या मैं प्रबन्धकों, अभिभावकों, स्टाफ तथा छात्रों के अधिकारों के बारे में अवगत हूँ?
3. क्या मैं हितधारकों को संलग्न रखने के महत्व के बारे में अवगत हूँ?
4. क्या मैं उनके साथ घनिष्ठ रूप से काम करता हूं?
5. क्या मैं छात्रों और अभिभावकों के साथ यथासंभव बार-बार बातचीत करता हूँ?
6. क्या मैं नीतियों के विषय में प्रमुख निर्णय लेने तथा स्कूल के विकास के उपायों के लिए उन्हें विश्वास में लेता हूँ?
7. क्या मेरे सभी हितधारक खुश और संतुष्ट हैं?
8. क्या मैंने सभी हितधारकों के साथ दो तरह से सम्प्रेषण प्रणाली का निर्माण किया है?
9. क्या मेरे पास पारदर्शी कार्य प्रणाली है?
10. क्या मेरे पास सभी हितधारकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र है?

XIII. आपदा प्रबंधन, बचाव, सुरक्षा, बाल अधिकार

यह पहलू उपयुक्त आपदा प्रबंधन, बचाव, सुरक्षा तथा बाल अधिकार उपाय के बारे में जागरूकता से संबंधित है।

1. क्या मैं स्वास्थ्य मामलों के संबंध में वैश्विक परिदृश्य के बारे में खुद को अपडेट रखता हूं?
2. क्या मैंने अपने स्कूल में विद्यालय आपदा प्रबंधन कमेटी तथा योजना बनाई है?
3. क्या मेरे स्कूल में आपदा प्रबंधन ड्रिल नियमित रूप से की जाती है?
4. क्या मैं आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए स्थानीय एसडीएमए के संपर्क में हूँ?
5. क्या मैं सभी आवश्यक बचाव एवं सुरक्षा प्रमाणपत्र अद्यतित रखता हूँ?
6. क्या मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, POCSO अधिनियम, एनसीपीसीआर दिशानिर्देशों से अवगत हूँ?
7. क्या मैं बोर्ड द्वारा समय-समय पर परिभाषित तथा सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता हूँ?
8. क्या मैं स्कूल में प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन सुविधाएं सुनिश्चित करता हूं?
9. क्या मैं सुरक्षित पेयजल; स्कूल में पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और प्रभावी कचरा प्रबंधन का प्रावधान सुनिश्चित करता हूं?

XIV. समावेशी उपाय

यह पहलू समावेशिता सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में जागरूकता से संबंधित है।

1. क्या मैंने शिक्षण, मूल्यांकन प्रथाओं, परिवहन आदि के संदर्भ में RPWD ACT और सीबीएसई नीति के अनुपालन में अच्छी तरह से परिभाषित समावेशी नीति सुनिश्चित की है?
2. क्या मैंने खेलों, गतिविधियों, वार्षिक दिवस और अन्य सभी स्कूल आयोजनों में CWSN को शामिल करना सुनिश्चित किया है?
3. क्या मैं सीडब्ल्यूएसएन के लिए उचित अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करता हूं जैसा कि सीबीएसई संबद्धता उपविधि के खंड 4.7.3 में दिया गया है।

XV. 21वीं सदी के कौशलों का प्रचार

यह पहलू 21वीं सदी के कौशल और गतिविधियों के कौशल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता से संबंधित है।

1. क्या मैं 21वीं सदी के सभी कौशलों से अवगत हूं?
2. क्या मैंने यह सुनिश्चित किया है कि मेरे सभी कर्मचारी 21वीं सदी कौशल से अवगत हैं?
3. क्या मेरा स्टाफ डिजिटल साक्षर है?
4. क्या पूरे स्कूल का रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकृत है?
5. क्या मैं सीबीएसई द्वारा निर्मित शिक्षा वाणी, ASAR, ECL आदि सभी ऐप के बारे में जानता हूं और उनका उपयोग करता हूं?
6. क्या मैं 21वीं सदी कौशल को विकसित करने या बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों में अपने छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देता हूं?